संख्या-79/2017/814/22-4-17-48(4)/17

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-04 दिसम्बर, 2017

विषय- प्रदेश की कारागारों की तलाशी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की स्थापना के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29637/आधु0-1/डी0स0मे0डि0/2017, दिनांक-17 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या-33488/आधु0-02/डीप सर्च/2017, दिनांक 14 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 69 कारागारों में बंदियों द्वारा जमीन के अन्दर दीवारों में तथा अन्य स्थानों पर मोबाइल सिम, मोबाइल तथा धात्विक सामग्री की फुलप्रूफ तलाशी किये जाने हेतु 02-02 नग डीप सर्च मेटल डिटेक्टर के क्रय/स्थापना की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ के माध्यम से कराये जाने एवं उक्त उपकरणों का क्रय/स्थापना हेतु रू0 2,04,00,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त कार्य हेतु नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 2,04,00,000/- (रूपये दो करोड़ चार लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(क) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की लागत का निर्धारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सुसंगत अद्यावधिक शासनादेशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(ग) उक्त प्रकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(घ) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड़) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-20-कारागारों में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1187/दस-2017, दिनांक-28 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-79/2017/814(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा मुख्यालय, मुख्यालय।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।